

वारण्ट गिरफ्तारी

(जेर दफा 75 जा०फौ०)

मजरिया अदालत

राजस्थान सरकार

बनाम

मुकद्दमा नंबर

संवत्

सोगह

चूंकि.....सा.

पर जुर्म दफा.....का इल्जाम लगाया गया है लिहाजा

इस वारण्ट के जरिये आपको हुक्म दिया जाता है की आप मजकूर को गिरफ्तार कर हमारे रूबरू हाजिर करो

इसमें कसूर न हो |

आज तारीख

माह

सन

ईस्वी

मोहर

मजिस्ट्रेट या जज

(जेर दफा 76 जा०फौ०)

अगर.....मजकूर रूपया.....की जमानत

जिसके साथ में एक जामिन.....रु० का हो (या दो जामिन हर एक.....

.....रु० के हो) इस बात के लिए दे की वह हमारे सामने तारीख.....माह.....

.....सन.....ईस्वी को हाजिर होगा और जब तक की और किसी तरह

इसके खिलाफ हुक्म न दिया जाय बराबर हाजिर रहेगा तो वह रिहा किया जा सकता है |

आज तारीख

माह

सन

ईस्वी

मोहर

मजिस्ट्रेट या जज